भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 36

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई

36. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में हमारे देश में पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या कितनी हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान लेखा परीक्षित विवरणों के साथ विवरणियां दाखिल नहीं करने वाली पंजीकृत कंपनियों की संख्या कितनी है;
(ग) ऐसी चूककर्ता कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) शेल कंपनियों के रूप में पकड़ी गईं या मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त पाई गई कंपनियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): 14 नवंबर, 2024 तक पंजीकृत कंपनियों की संख्या 27,75,567 है और 14 नवंबर, 2024 तक भारत में सक्रिय कंपनियों की संख्या 17,83,418 है।

(ख): पिछले पांच वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणियां और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण फाइल न करने वाली कंपनियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:

जारी...2/-

वित्तीय वर्ष	उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने वित्तीय विवरण फाइल नहीं किए हैं।	नहीं। उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किया है
2018-19	1,79,697	1,75,034
2019-20	2,18,237	2,19,854
2020-21	2,61,785	2,58,961
2021-22	3,70,886	3,70,021
2022-23	5,30,076	5,14,343

(ग) और (घ): कंपनी रजिस्ट्रार उन चूककर्ता कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हैं जो या तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92, 96, 99, 137 के तहत अभियोजन फाइल करके या कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1) के तहत कंपनियों के नाम स्ट्राइक ऑफ करके उनके वार्षिक रिटर्न और/या वित्तीय विवरण फाइल नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले पांच वर्षों के दौरान चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ कुल 322 अभियोजन फाइल किए गए हैं और कुल 1,39,136 कंपनियों को अपने वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को फाइल न करने के लिए रद्द कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत "शेल कंपनी" की कोई परिभाषा नहीं है। तथापि, जब कभी कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन पाया जाता है, तो डायवर्जन, साइफनिंग अथवा धोखाधड़ी आदि के लिए कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

******